रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15112021-231145
SG-DL-E-15112021-231145

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 244
No. 327]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943	[N. C. T. D. No. 244

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

फा. स. आर.3229/टी॰ओ॰(एस॰)/टी॰सी॰.फेलिंग/2021.22/6928-36.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भारतमाला परियोजना, नई दिल्ली के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एन.एच. 148 एन.ए. (डिजाइन सी.एच. 0.000 से 9.000) के जैतपुर-पुष्टा रोड खंड के साथ डीएनडी महारानी बाग से जंक्शन तक 6 लेन एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 11.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

स्थान	बचाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
		प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)			(4)

भारतमाला परियोजनाए नई दिल्ली के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एन.एच. 148 एन.ए. ;डिजाइन सी.एच. 0.000 से 9.000) के जैतपुर-पुष्टा रोड खंड के साथ डीएनडी महारानी बाग से जंक्शन तक 6 लेन एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग के निर्माण हेतु।	111	109	190	299	2990
योग	**111**	**109**	**190**	**299**	**2990**

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है :-

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 1,70,43,000 रूपये (एक करोड़ सत्तर लाख तैंतालीस हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (299 वृक्षों को प्रत्यारोपण, काटे जाने वाले वृक्षो का दस गुना) अर्थात 2990 पौधो का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतासए पीपलए पिलखनए गूलरए बरगद, गूलरए आमए शीशम एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का इको-पार्क बदरपुर, एनटीपीसी नई दिल्ली की भूमि पर किया जाएगा।	2990	1,70,43,000 /-	उप– वन संरक्षक (दक्षिण) / वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 109 वृक्षों का प्रत्यारोपण एन॰टी॰पी॰सी॰ इको-पार्क बदरपुर नई दिल्ली की भूमि पर स्वयं की लागत पर किया जाएगा।			

1. उपरोक्त 1 (क) और (ख) के अनुसारए देशी प्रजातियों के 2990 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।
2. 299 वृक्षो को काटे/ प्रत्यारोपण किए जाने के बदले मे 1रू10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6.8 फीट की ऊँचाई वाले 2990 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उसका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।
3. यदि उपभोगी संस्था सफलतापूर्वक प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहती है। उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है ।
4. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित हैए उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
5. उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियमए 1994 की धारा 12 के अनुपालन में वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को प्रस्तुत किया जाएगा ।
6. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत की जाएगी ।
7. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य शुरू करने से पूर्व साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा ।
8. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा ।

9. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षो का प्रत्यारोपण उपभोगी संस्था द्वारा शुरू किया जाएगा और इसे तीन महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं उपरान्त होनी चाहिए।
10. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।
11. 674 वृक्षो को प्रत्यारोपणः काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिनाए जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती हैए दी जा रही है।
12. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षो की कटाईः प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो ।
13. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को कटाईः प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
14. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
15. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
16. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
17. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को भी दी जाएगी ।
18. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान मे 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।
20. उपभोगी संस्था द्वारा 190 वृक्षो को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा । 190 वृक्षो की अनुमति 109 वृक्षो के सफल प्रत्यारोपण और उप– वन संरक्षक (दक्षिण) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी ।
21. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो।
22. उपभोगी संस्था द्वारा 299 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण एक अपराध होगा ।
23. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उस वृक्ष को घोंसला स्थानांतरित करने के पश्चात ही काटा जाएगा ।
24. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा।
25. यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 11th November, 2021

F. No. R.3229/TO(S)/TC-Felling/2021-22/6928-36.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 11.4 ha. approx. as detailed below for construction of 6 Lane access controlled Highway from DND Maharani Bagh to Junction with Jaitpur- Pushta Raod section of NH-148 NA (Design Ch.0.000 to 9.000) in the National Capital Territory of Delhi on Hybrid Annuity Mode under Bharatmala Pariyojana, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees to be saved	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
		Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)			(4)

Construction of 6 Lane access controlled Highway from DND Maharani Bagh to Junction with Jaitpur- Pushta Raod section of NH-148 NA (Design Ch.0.000 to 9.000) in the National Capital Territory of Delhi on Hybrid Annuity Mode under Bharatmala Pariyojana, New Delhi.	111	109	190	299	2990
Total	111	109	190	299	2990

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. National Highway Authority of India (NHAI), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs.1,70,43,000/- (Rs. One Crore Seventy Lakh Forty Three Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

SN	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for transplantation/ felling of 299 trees i.e 2990 number of tree saplings proposed to be of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Goolar, Mango, Sheesham along with other native species shall be carried out by User Agency at Eco-Park, NTPC Land Badarpur, New Delhi.	2990	1,70,43,000/-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 109 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency at Eco-Park, NTPC Land Badarpur, New Delhi with their own funds.			

2. 100% Compensatory Plantation of 2990 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.

3. 2990 Plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation of 109 no. of trees and felling of 190 nos. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance shall be carried out there after by User Agency with their own funds.

4. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).

5. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.

6. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994 before initiating felling/ transplantation.

7. User Agency shall maintain plantation journal as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi and submit a copy of same at end of each financial year.

8. User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation before initiating felling/ transplantation

9. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation / transplantation site.
10. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than three months, after which a completion report has to be submitted to the concerned Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
11. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
12. Permission for transplantation/ felling/ pruning/ headbacking of 534 nos. of tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
13. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.
14. Before the transplantation/ felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
15. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
16. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.
17. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
18. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (South) by User Agency.
19. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (South) by User Agency.
20. Felling/ transplantation of trees and transportation of forest produce arising threfrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.
21. The transplantation shall be carried out prior to felling of 190 nos. of trees permitted herein. The 190 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 109 trees and submission of compliance certificate to DCF (South).
22. Land Owning agency shall ensue that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation.
23. Felling/ Transplantation of any tree apart from 299 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
24. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled/ transplant till the same is abandoned by the birds.
25. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, if any obtained, shall be followed scrupulously.

This issues with prior approval of Hon’ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.15 16:40:10 +05'30'